

**कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

-:: अधिसूचना ::-

क्रमांक / 5323 / भू-अर्जन / 2025

कोरबा, दिनांक 25/04/2025

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

1. जिला : कोरबा
2. तहसील : दीपका
3. ग्राम/नगर : मुढ़ाली
4. भूमि का क्षेत्रफल: 0.992 हे.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
721	0.004	753/4 शामिल 755/4,756/4	0.040
722/1/क	0.081	757/1 शामिल 764/1	0.175
725/2/ख	0.024	765/1 शामिल 766/1	0.190
722/1/ख	0.028	765/2 शामिल 766/2	0.047
722/2 शामिल न.723/1	0.004	812/2	0.012
722/3 शामिल 723/2	0.012	811/4	0.008
753/1 शामिल 755/1,756/1	0.068	812/3	0.053
753/2 शामिल 755/2,756/2	0.053	812/1	0.112
753/3 शामिल 755/3,756/3	0.081	-	-
योग :-	कुल खसरा नं. - 17, कुल रकबा - 0.992 हे.		



**अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)**

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अभिषेक वसंत)
कलेक्टर,
जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग